न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 93/2019 निर्णय दिनांक :– 28-11-19

उनवान

1. मीठा लाल पुत्र भूरा जाति जाट, निवासी – ग्राम कौथून, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.

––प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया कि वाके ग्राम कौथून के खाता संख्या 132, 133, 134, 135 व 370 स्थित है जिसकी खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी की सम्पत्ति है जब वादी के उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खुला तो वादी का नाम खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया के रूप में अंकित कर दिया गया जबकि वादी का नाम मीठालाल है वादी को गांव में मिठ्ठू, मीठ्या, लक्ष्मण कहकर भी पुकारा जाता था। उसी वजह से नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियों ने खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया अंकित कर दिया जबकि वादी के तमाम दस्तावेजात मीठालाल पुत्र भूराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। वादी के समस्त कागजता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि मीठा लाल पुत्र भूराराम के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से मीठा लाल की जगह खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादी का नाम में खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया की जगह मीठालाल अंकित किया जाना आवश्यक है। मीठ्या, मीठया, लक्ष्मण, गोरया व मीठालाल एक ही नाम का एक ही व्यक्ति ग्राम कौथून,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तहसील चाकसू में था केवल वादी के नाम मीठालाल की जगह खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती के बिना वादी अपनी जमीन पर मिलने वाले राजकीय लाभो ऋणों इत्यादि से वंचित है वादी ने उक्त दुरूस्ती हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त करवाये जाने बाबत हिदायत दी इसलिये वादी को उक्त वादी पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब तहसीलदार साहब ने नाम दुरूस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय हेतु हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है। दावा अन्दर मियाद कानून मियाद है। मान्य न्यायालय को दावा सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार को प्राप्त है। दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं0 1 में वर्णित आरजीयात में वादी का नाम खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया को हजफ कर मीठालाल घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया को हटा कर इन्द्राज दुरूस्त कर मीठालाल अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नही करे। दावा वकील वादी ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो पैरोकार सरकार ने जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम कौथून के खाता संख्या 132 खाता संख्या 133 खाता संख्या 134 खाता संख्या 135 खाता संख्या 370 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 के क्रम में यह है कि जमाबंदी संवत 2065–68 में खाता संख्या 351 में रामभरोसो पुत्री हरिनारायण जाति सुनार सा देह के बजाय जरिये नामान्तकरण संख्या 328 दिनांक 28.03.11 से जगदीश बद्री मिठ्ठू हजारी रामेश्वर पि0 भूरा दर्ज है। अवधि बन्दोबस्त संवत 2051–70 के खाता संख्या 90 में खसरा नबर 1446 रकबा 0.04 बिस्वा जगदीश बदरी हजारी मीठ्या रामेश्वर पि0 भूरा दर्ज है। अवधि बन्दोबस्त सम्वत 2051–70 के खाता संख्या 91 में किता 42 रकबा 21.07 है0 में जगदीश बदरी हजारी मीठ्या रामेश्वर पि0 हीरा हिस्सा 1/3 व अवधि बन्दोबस्त संवत 2051–70 के खाता संख्या 92 में खसरा नमबर 851 में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जगदीश बदरी हजारी लक्ष्मण रामेश्वर पिता भूरा जाति जाट सा0 देह खातेदार अवधि बन्दोबस्त संवत 2051–70 के खाता संख्या 234 मं किता 18 रकबा 6.22 हजारी जगदीश बदरी गोरया रामेश्वर पिता भूरा हिस्सा 1/9 जाति जाट दर्ज है। मध्यम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें, शेष कानूनी है। मद संख्या 3 में वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें, शेष कानूनी है। मद संख्या 4 से 8 कानूनी है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी का सही नाम मीठालाल है जो राजस्व रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, में मीठालाल चौधरी अंकित है, केवल राजस्व जमाबंदी में प्रथक प्रथक नाम अंकित है। इस प्रकार जवाब सरकार व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी का नाम प्रथक प्रथक खातो में शुद्ध किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कौथून की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मीठ्या, खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण 370 में गौरया को हजफ किया जाकर मीठालाल घोषित किया जाता है। व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 132 में मिठ्ठू खाता संख्या 133 में मिठया खाता संख्या 134 में मीठया खाता संख्या 135 में लक्ष्मण खाता संख्या 370 में गोरया को हटाकर मीठालाल अंकित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया जावे, व इसी अनुसार शुद्धि की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.03 18:33:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: